राज्य सभा में पुरः स्थापित रूप में

2026 का विधेयक संख्यांक 59

[दि प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्टस टू नेशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

1971 के अधिनियम सं0 69 का संशोधन ।

2. राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में, धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकना या उसमें व्यवधान पैदा करना ।

"(3) जो कोई व्यक्ति, जानबूझकर,—

(क) राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत को गाए जाने से रोकता है ; या

(ख) ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है,

वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (उक्त अधिनियम) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि राष्ट्रगान गाने से जानबूझकर रोकना या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करना एक दंडनीय अपराध है ।

2. 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा की बैठक में, इसके अध्यक्ष, डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत *वंदे मातरम्*, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, उसे '*जन-गण-मन*' के समान ही सम्मान दिया जाएगा और उसके बराबर का दर्जा प्राप्त होगा ।

3. वर्तमान में, *वंदे मातरम्*, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित किया जाता है, के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई विशिष्ट विधिक उपबंध नहीं है । अतः, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम) गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने से रोकने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे कार्यों को दंडनीय बनाया जा सके ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 जुलाई, 2026

अमित शाह

उपाबंध

राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 69) से उद्धरण

* * * * * *

भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकना, आदि।

3. जो कोई भारतीय राष्ट्रगान के गायन को साशय रोकेगा या ऐसे गायन में लगे हुए किसी जनसमूह के लिए विघ्न पैदा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

* * * * * *

RS-P&PS-GB(H)–020–16.07.2026.